

\*—प्रेस नोट—\*  
\*जनपद मीरजापुर।\*

**\*दिनांक – 02.06.2022\***

**\*थाना अहरौरा पुलिस द्वारा बोलेरो में लदे 79.00 किग्रा अवैध गांजा (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 15 लाख ) के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार —\***

पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे सघन अभियान के क्रम में दिनांक 02.06.2022 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह थानाध्यक्ष अहरौरा मय हमराह देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म /चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वस्तु/वाहन में मामूर थे कि मुखबिर के सूचना के आधार पर प्रधान ढाबा घाटमपुर के पास चेकिंग के दौरान एक बोलेरो गाडी नं0 WB 06 D 2053 रोका गया जिसमें 03 व्यक्ति मौजूद थे । गाड़ी चालक द्वारा गाड़ी रोकने पर तीनों उतर कर भागने का प्रयास किये परन्तु पुलिस द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। तीनों अभियुक्तों से नाम पता पुछने पर अभियुक्तगण 1.दिपक कुमार राय पुत्र नागेन्द्र ठाकुर उम्र 26 वर्ष, 02-संदीप कुमार राय पुत्र कामेश्वर राय उम्र-34 वर्ष निवासीगण मकसूदपुर थाना भेलदी जिला छपरा(सारंग) बिहार व 03-अजीत सिंह पुत्र स्व0 धूप सिंह कुशवाहा निवासी पेगा थाना भेलदी जनपद छपरा(सारंग) बिहार उम्र-20 वर्ष बताये जिन को हिरासत मे लिया गया । पुलिस टीम द्वारा वाहन संख्या WB 06 D 2053 बोलेरो की तलासी से 79.00 किग्रा अवैध गांजा बरामदगी की गयी । जिसके सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर एनडीपीएस एक्ट अभियोग पंजीकृत कर गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया ।

**\*गिरफ्तार शुदा अभियुक्त नाम पता-\***

- 1.दिपक कुमार राय पुत्र नागेन्द्र ठाकुर उम्र 26 वर्ष निवासी मकसूदपुर थाना भेलदी जिला छपरा(सारंग) बिहार
2. संदीप कुमार राय पुत्र कामेश्वर राय उम्र-34 वर्ष निवासी मकसूदपुर थाना भेलदी जिला छपरा(सारंग) बिहार
3. अजीत सिंह पुत्र स्व0 धूप सिंह कुशवाहा उम्र-20 निवासी पेगा थाना भेलदी जनपद छपरा(सारंग) बिहार

**\*बरामदशुदा माल का विवरण\***

- 1-79 किग्रा गांजा नाजायज
- 2.वाहन संख्या WB 06 D 2053 बोलेरो
- 3.चार अदद मोबाइल

**\*गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाले अधि0/कर्म0गण का नाम—\***

- 1.थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह (थानाध्यक्ष अहरौरा)
- 2.उ0नि0 गिरेन्द्र कुमार राय
- 3.हे0का0 अनुप सिंह
- 4.हे0का0 सचिन मौर्या
- 5.म0का0 काजल सिंह

